



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062025-263521
CG-DL-E-02062025-263521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2388]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(आयकर)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2447 (अ).—आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शून्य कूपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः—

- | | |
|------------------------------------|--|
| (क) बंधपत्र का नाम | - आरईसी लिमिटेड का दस वर्षीय शून्य कूपन बंधपत्र |
| (ख) बंधपत्र की जीवन अवधि | - दस वर्ष छः माह |
| (ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी | - दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाएगा |

- (घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर - 5,000 करोड़ रुपये
भुगतान की जाने वाली राशि
- (ङ) छूट - 2,200 करोड़ रुपये
- (च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - पाँच लाख

[अधिसूचना सं. 52/2025 फा. सं. 300164/5/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव